

15/2/21

पत्रावली पेश हुयी। काही व वकीलवाही अनु०।
वारः² आकाज दिलवायी जाने के उपरान्त भी
वाही की ओर से कोई उपस्थित नही। अतः
वाही का वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में
खारीज किया जाता है। पत्रावली फैलल शुमार
होकर नम्बर ले कम होकर बाकिल बफत (हो)



12

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)